

45

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वाफियर म०प्र०,



क्रमांक 3056-116

1- रामकुमार तनय राधे प्रजापति उम्र 46 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम देवरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०, ——— निगरानीकर्ता बनाम

दिनांक 5-9-16
का श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय
काजीवा काजी कानून

- 1- महेन्द्रनाथ तनय श्री रामनाथ साकेत निवासी ग्राम बामनगढ़
 - 2- सुरेन्द्र कुमार तनय श्री रामनाथ साकेत निवासी ग्राम बामनगढ़
- दोनों वर्तमान निवासी ग्राम देवरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०,
- 3- किस्मत तनय जगदीश उर्फ बड़का प्रजापति निवासी ग्राम देवरा,
 - 4- राजेन्द्र प्रसाद तनय जगदीश उर्फ बड़का प्रजापति निवासी ग्राम देवरा
 - 5- छोटे प्रजापति पिता जगदीश उर्फ बड़का प्रजापति निवासी ग्राम देवरा, सभी का थाना शहरपुर, चौकी छटखरी, पो. छटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० - ——— गैरनिगरानीकर्तागण

59/16
50

Delhat
05/09/14

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय तहसीलदार महोदय वृत्त छटखरी, तहसील हनुमना, जिला जिला रीवा म०प्र० का प्र. क्र. 6-अ-70/15-16 व आदेश दिनांक 08.02.2015, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई. 1

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.12.2015 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1,2 ने धारा 250 के अन्तर्गत आराजी नं० 452/1 रकवा 0.012 आरे, 452/3

[Handwritten signature]

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-8056-2/16

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...तहसीलदार... खरखरी के प्रकरण क्रमांक ...6/31-70/15-16... में पारित आदेश दिनांक 6.12.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...18.10.19...को कलेक्टर रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(महेश घन चौधरी) सदस्य</p>	